

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक:— 1351 /संचालन

दिनांक:—08.09.2025

## कोटेशन सूचना

विषय:— पिक-अप वाहनों के किराए की राशि सभी करों सहित (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) कोटेशन बारे।

दिनांक 23.09.2025 को प्रातः 07:00 बजे बोर्ड मुख्यालय से (जिला भिवानी को छोड़कर) सभी जिला मुख्यालयों पर जाने के लिए पिक-अप वाहनों के किराए की राशि सभी करों सहित (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) कोटेशन बारे आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण **Annexure-1** में दिया गया है। **Annexure-2** में नियम और शर्तों के अधीन है। कोटेशन दिनांक 10.09.2025 को सायं 03:00 बजे तक ई-मेल पते [ratesbseh@gmail.com](mailto:ratesbseh@gmail.com) पर भेजी जानी है।

यदि कोटेशनकर्ता सभी निर्देशों/शर्तों (**Annexure-2**) का पूरी तरह से पालन नहीं करता है तो कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में कोटेशन उसी दिन खोली जाएगी।

सहायक सचिव (संचालन)  
कृते: सचिव

सेवा में,

**Annexure-1**

सचिव,  
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड  
भिवानी।

आपके कोटेशन न0 1351/संचालन दिनांक 08.09.2025 के सन्दर्भ में दिनांक 23.09.2025 को प्रातः 07:00 बजे बोर्ड मुख्यालय से (जिला भिवानी को छोड़कर) अन्य सभी जिला मुख्यालयों पर जाने के लिए पिक-अप वाहनों की कोटेशन किराए की राशि सभी करें सहित (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) निम्नानुसार दी जाती है:-

क्र. स.	जिला	दिनांक 23.09.2025 के लिए किराये के लिए गाड़ी का नाम।	कोटेशन कर्ता द्वारा कोटेशन की जाने वाली किराए की राशि सभी करें (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) सहित
1	अम्बाला	पिक-अप वाहन	Rs.
2	चरखी दादरी	पिक-अप वाहन	Rs.
3	फतेहाबाद	पिक-अप वाहन	Rs.
4	फरीदाबाद	पिक-अप वाहन	Rs.
5	गुरुग्राम	पिक-अप वाहन	Rs.
6	हिसार	पिक-अप वाहन	Rs.
7	झज्जर	पिक-अप वाहन	Rs.
8	जीन्द	पिक-अप वाहन	Rs.
9	करनाल	पिक-अप वाहन	Rs.
10	कैथल	पिक-अप वाहन	Rs.
11	कुरुक्षेत्र	पिक-अप वाहन	Rs.
12	नारनौल	पिक-अप वाहन	Rs.
13	नूँह	पिक-अप वाहन	Rs.
14	पानीपत	पिक-अप वाहन	Rs.
15	पलवल	पिक-अप वाहन	Rs.
16	पंचकुला	पिक-अप वाहन	Rs.
17	रेवाड़ी	पिक-अप वाहन	Rs.
18	रोहतक	पिक-अप वाहन	Rs.
19	सिरसा	पिक-अप वाहन	Rs.
20	सोनीपत	पिक-अप वाहन	Rs.
21	यमुनानगर	पिक-अप वाहन	Rs.
	कुल		

यह प्रमाणित किया जाता है कि मुझे कोटेशन नोटिस के निर्देश, नियम और शर्तें स्वीकार्य हैं और मेरे द्वारा कोटेशन में दी गई किराए की दरें सही हैं।

1. कोटेशनकर्ता का नाम — .....
2. फर्म/एजेंसी का नाम — .....
3. फर्म/एजेंसी का पता — .....
4. पैन नम्बर— .....
5. जी.एस.टी.नम्बर— .....
6. मोबाईल नम्बर और ई-मेल आई.डी. — .....
7. फर्म/एजेंसी का रजि. न0— .....
8. बैंक का नाम जिसमें कोटेशनकर्ता का खाता है— .....
9. बैंक की शाखा का नाम— .....
10. कोटेशनकर्ता का खाता नम्बर— .....
11. बैंक शाखा के आई. एफ.एस.सी. कोड — .....
12. मुझे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा या किसी अन्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

कोटेशनकर्ता के हस्ताक्षर  
मोहर सहित

शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1. किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत सामान साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
2. सभी वाहन अच्छी हालत में तिरपाल व फट्टों सहित होनी चाहिए।
3. इस कार्य के लिए जो वाहन भेजे जाएँ, उनके सभी कागजात व बिल्टी आदि पूरे होने चाहिए। सम्बन्धित ड्राइवर के लाईसैंस आदि की जांच करने व पुष्टि होने के पश्चात् ही वाहन बोर्ड कार्यालय में भेजा जाए।
4. उक्त सामान को समय पर निर्धारित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी होगी। यदि कोई वाहन रास्ते में खराब होता है तो उसके स्थान पर दूसरा वाहन समय पर उपलब्ध करवाने का दायित्व आपका होगा।
5. कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त बिल देने पर किराए की राशि का भुगतान **TDS** काटकर कार्यालय नियमानुसार किया जाएगा।
6. टोल टैक्स की अदायगी आप द्वारा की जायेगी।
7. लोडिंग व अनलोडिंग का खर्च बोर्ड कार्यालय का होगा।
8. यदि बोर्ड द्वारा किन्हीं कारणों से इस तिथि में बदलाव/स्थगित किया जाता है तो इसकी सूचना आपको निर्धारित तिथि से 24 घण्टे पूर्व दे दी जाएगी, वह आपको मान्य होगी।
9. डीजल के रेट में बढ़ोतरी होती है तो आप द्वारा दिनांक 10.09.2025 को दी गई कुटेशन अनुसार ही दिनांक 23.09.2025 को वाहन उपलब्ध करवाने होंगे।
10. यदि आप द्वारा गाड़ी उपलब्ध करवाने में देरी/मना किया जाता है, तो बोर्ड कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।